

359  
27  
31  
29

(11)	(12)
(iii) 5% by promotion out of graduate clerks-cum-Typists on passing the departmental examination	(ii) 5% by promotion from amongst graduate Clerks-cum-Typists having a minimum of five years of service on passing the Departmental Examination by them for the post of Auditor.
Note : Direct Recruitment of Auditors will be made on the basis of Examination conducted by Staff Selection Commission.	Note 1 : The Departmental Examination for promotion out of graduate Clerks-cum-Typists shall be conducted as and when sufficient number of vacancies become available. During the intervening period, vacancies earmarked for graduate clerks-cum-typists shall neither lapse nor be filled up.
	Note 2 : Clerks-cum-Typists and Data Entry Operators who pass Part I Subordinate Accounts Service Examination shall be promoted out of turn to the grade of Auditor, against the aforesaid 45% quota.
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Department Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :	Not applicable.
For offices other than the Controller General of Defence Accounts :—	
1. Principal Controller of Defence Accounts or Controller of Defence Accounts or Additional Controller of Defence Accounts or Joint Controller of Defence Accounts	—Chairman.
2. Deputy Controllers of Defence Accounts	—Member
3. Assistant Controllers of Defence Accounts or Senior Accounts Officer	—Member
For the office of the Controller General of Defence Accounts :—	
1. Senior Deputy Controller General of Defence Accounts (Administration) or Deputy Controller General of Defence Accounts (Administration)	—Chairman
2. Assistant Controllers General of Defence Accounts	—Member
3. Senior Accounts Officer	—Member

[F. No. 9(1)/C/2009]

AMIT COWSHISH, Jt. Secy. and Additional Financial Advisor

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2009

का.नि.आ. 23.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा लेखा विभाग (श्रेणी-3 तथा श्रेणी-4) भर्ती नियम, 1970 को, जहां तक ये निम्न श्रेणी लिपिकों के पद से संबंधित हैं, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, रक्षा लेखा विभाग में लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग (लिपिक) भर्ती नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3362 9709-2

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पदों की भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हताएं और इससे संबंधित अन्य मामलों उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

4. निरर्हताएं—

(क) जिसने उस व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित ह, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
लिपिक सह टंकक	1808* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, 'समूह 'ग' अनुसूचितीय (अराजपत्रित)	वेतन बैंड 1 5200-20200 रुपये तथा ग्रेड वेतन 1900 रुपये सहित	अचयन	नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मियों को 40 वर्ष तक छूट) टिप्पण : आयु सीमा की प्रमाणिक तारीख का निर्धारण कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निश्चित किया जाएगा।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समकक्ष अर्हता	हां। ग्रेड वेतन 1800 रुपये सहित वेतन बैंड-1 के कर्मचारियों की परीक्षा के लिए अंतिम आयु सीमा 45 वर्ष है। (अनुजाति/अनु-जनजाति के लिए 50 वर्ष)	दो वर्ष
2. अंग्रेजी में टंकण गति 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट		

358 28  
24  
31

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
--	--

(11)	(12)
(i) सीधे भर्ती द्वारा 90% । (ii) विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर ऐसे कर्मचारी जिन्हें वेतन बैंड-1 तथा ग्रेड वेतन 1800 रुपये में रखा गया है और जिसने उस ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो, ऐसे कर्मचारियों में से 10% रिक्तियों को भरा जाएगा । परीक्षा के लिए अंतिम आयु सीमा 45 वर्ष है । (अनु. जाति/अनु.जनजाति के लिए 50 वर्ष) टिप्पण 1 : लिपिक सह टंकक की सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित परीक्षा के आधार पर की जाएगी । टिप्पण 2 : यदि खंड (ii) के अंतर्गत उक्त परीक्षा के लिए उपलब्ध रिक्तियों से अधिक कर्मचारी हो तो ऐसे कर्मचारियों को अनुवर्ती वर्षों में उत्पन्न रिक्तियों के लिए इस तरह विचार किया जाएगा कि पहले परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मचारियों को बाद की परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मचारियों से पहले विचार किया जाएगा ।	विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर ग्रेड वेतन 1800 रुपये सह वेतन बैंड-1 के ऐसे कर्मचारी जिसने ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)	(14)
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के विचारार्थ) की संरचना :— रक्षा लेखा महानियंत्रक के अतिरिक्त अन्य कार्यालयों के लिए : (1) रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक या रक्षा लेखा नियंत्रक या रक्षा लेखा अपर नियंत्रक या संयुक्त रक्षा लेखा नियंत्रक —अध्यक्ष (2) रक्षा लेखा उप-नियंत्रक —सदस्य (3) रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी —सदस्य कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक के लिए : (1) ज्येष्ठ रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशा.)/या रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशा.) —अध्यक्ष (2) रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक —सदस्य (3) ज्येष्ठ लेखा अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

New Delhi, the 15th September, 2009

S.R.O. 23.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Accounts Department (Class-III and IV) Recruitment Rules, 1970 in so far as they relate to the post of Lower Division Clerk, as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Clerk in the Defence Accounts Department, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Defence Accounts Department (Clerk) Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person shall be eligible for appointment to the said post:

(a) who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of CCS (Pension) Rules 1972	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Clerk-cum-Typist	1808* (2009) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services (Group 'C') Ministerial Non-gazetted	Pay Band I Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 1900	Non-Selection	No	Between 18 to 27 years. (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note : The crucial date for determining the age-limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.

357 20  
33

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
1. Matriculation or equivalent qualification from a recognized Board or University. 2. A typing speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi.	Yes. The maximum age limit for examination to those in Pay Band-1 with Grade Pay of Rs. 1800/- shall be 45 years (50 years for Scheduled Castes/Scheduled Tribes)	Two years
Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grade from which promotion/deputation/absorption to be made	
(11)	(12)	
(i) 90% by Direct Recruitment. (ii) 10% vacancies shall be filled up from amongst the staff who are placed in Pay Band-1 with Grade Pay of Rs. 1800 and have rendered not less than three years regular service in the grade on the basis of a departmental qualifying examination. The maximum age limit for examination is 45 years (50 years for Scheduled Caste/Scheduled Tribe). Note 1 : Direct Recruitment of Clerk-cum-Typist will be made on the basis of Examination conducted by Staff Selection Commission. Note 2 : If more employees than the number of vacancies available under Clause (ii) qualify at the said examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those qualify at a later examination.	Staff in Pay Band-1 with Grade pay of Rs. 1800 who have rendered 3 years regular service in the grade on the basis of a departmental qualifying examination.	
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of; For offices other than the Controller General of Defence Accounts :— 1. Principal Controller of Defence Accounts or Controller of Defence Accounts or Additional Controller of Defence Accounts or Joint Controller of Defence Accounts —Chairman 2. Deputy Controllers of Defence Accounts —Member 3. Assistant Controllers of Defence Accounts or Senior Accounts Officer —Member For the office of the Controller General of Defence Accounts :— 1. Senior Deputy Controller General of Defence Accounts (Administration) or Deputy Controller General of Defence Accounts (Administration) —Chairman 2. Assistant Controllers General of Defence Accounts —Member 3. Senior Accounts Officer —Member	Not applicable.	

3362 91/09-3

16. 2/5 GR (FF)

Pin-910152

C/o 56 APO

17. 40 RR (DOGRA)

Pin-934540

C/o 56 APO

18. 13 JAK RIF (KARGIL)

Pin-911113

C/o 56 APO

19. 5171 ASCBN (MT)

Pin-905171

C/o 56 APO

20. 61, Rastriya Rifles Battalion

(Jat)

Pin-934561

C/o 56 APO

21. HQ Commander Works

Engineers

Dehradun

[F.No. 1(1)/2007-D(OL-1)]

UPAMANYU CHATTERJEE, Jt. Secy. (Trg.)

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2011

का.नि.आ. 9.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा लेखा विभाग (लिपिक) भर्ती नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग (लिपिक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा लेखा विभाग (लिपिक) भर्ती नियम, 2009 में निम्नलिखित अनुसूची द्वारा विद्यमान अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“अनुसूची”

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
लिपिक-सह-टंकक	1808* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'ग') अनुसचिवीय, अराजपत्रित	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन	नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी। (जहां कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती नहीं की जाती है वहां आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।)

87

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(8)

(9)

(10)

1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य।

2. कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट टंकण गति

(अनुज्ञात समय - 10 मिनट)

प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन के औसत से 10500

केडीपीएच/9000 केडीपीएच के औसत 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट)

हाँ, स्तंभ (11) में उल्लिखित सीमा तक

दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनमें से प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)

(12)

जैसा स्तंभ (11) में उल्लिखित है।

(i) 85% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(ii) विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों में से 10% रिक्तियों को भरा जाएगा जिन्हें वेतन बैंड-1 + ग्रेड वेतन 1800 रुपए में रखा गया है और जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो या समतुल्य अर्हता रखते हों और जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। परीक्षा के लिए पात्रता की न्यूनतम आयु-सीमा 45 वर्ष है।

(अनु. जाति/अनु. जनजाति के लिए 50 वर्ष)

टिप्पण : यदि खंड (ii) के अधीन उक्त परीक्षा के लिए उपलब्ध रिक्तियों से अधिक कर्मचारी हो तो ऐसे कर्मचारियों को अनुवर्ती वर्षों में उत्पन्न रिक्तियों के लिए इस तरह विचार किया जाएगा कि पहले परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मचारियों को बाद की परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मचारियों से पहले विचार किया जाएगा।

(iii) 5% रिक्तियाँ ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों से ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरा जाएगा जिन्होंने ग्रेड वेतन 1800 रुपए वाले पदों में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

लागू नहीं है।

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

रक्षा लेखा महानियंत्रक से भिन्न कार्यालयों के लिए—

1. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक/

रक्षा लेखा अपर नियंत्रक/रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक

—अध्यक्ष

(13)

2. रक्षा लेखा उप नियंत्रक	—सदस्य
3. रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक	—सदस्य
रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालयों के लिए—	
1. रक्षा लेखा ज्येष्ठ उप महानियंत्रक (प्रशा.)/ रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशा.)	—अध्यक्ष
2. रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक	—सदस्य
3. ज्येष्ठ लेखा अधिकारी	—सदस्य

[फा. सं. 9(2)/सौ/09]

अमित कौशिश, अपर वित्तीय सलाहकार और अपर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम, का.नि.आ. 23, तारीख 15 सितम्बर, 2009 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में प्रकाशित किए गए थे।

(Finance Division)

New Delhi, the 19th January, 2011

S.R.O. 9.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Defence Accounts Department (Clerk) Recruitment Rules, 2009 namely :—

- (1) These rules may be called the Defence Accounts Department (Clerk) Recruitment (Amendment) Rules, 2011.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Defence Accounts Department (Clerk) Recruitment Rules, 2009, the existing Schedule shall be substituted by the following Schedule, namely :—

## SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Clerk-cum-Typist	1808* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, (Group 'C') Ministerial, (Non-Gazetted)	Pay Band 1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 1900	Non-selection	No	Between 18 to 27 years of age. (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  Note : The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission, (Where recruitment is not through Staff Selection Commission the crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of applications.)

2664/11-2

Educational and other qualifications required for direct recruits

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees

Period of probation, if any

(8)

(9)

(10)

1. 12th Class pass or equivalent from a recognised Board or University;
2. A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer.  
(Time allowed - 10 mts.)  
(35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word)

Yes, to the extent indicated in column (F1).

Two years

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

(11)

(12)

- (i) 85% by direct recruitment through Staff Selection Commission.
- (ii) 10 % vacancies shall be filled up from amongst the Group 'C' Staff who are placed in Pay Band-1 with Grade Pay of Rs. 1800 and who possess 12th Class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of a departmental qualifying examination. The Maximum age limit for eligibility for examination is 45 years. (50 years for Scheduled Castes/Scheduled Tribes).

As stated in column (11).

Note : If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualify at the said examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.

(iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' employees who have three years regular service in posts with the Grade Pay of Rs. 1800.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:

Not applicable.

- For offices other than the Controller General of Defence Accounts :—
1. Principal Controller of Defence Accounts/Controller of Defence Accounts/Additional Controller of Defence Accounts/Joint Controller of Defence Accounts

(13)

2. Deputy Controller of Defence Accounts	—Member
3. Assistant Controller of Defence Accounts	—Member
For the office of the Controller General of Defence Accounts :—	
1. Senior Deputy Controller General of Defence Accounts (Administration)/Deputy Controller General of Defence Accounts (Administration)	—Chairman
2. Assistant Controller General of Defence Accounts	—Member
3. Senior Accounts Officer	—Member

[F. No. 9(2)/C/09]

AMIT COWSHISH, Addl. Secy. and Addl. Financial Advisor

Note — The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 4 vide number S.R.O. 23 dated 15th September, 2009.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 7] नई दिल्ली, अप्रैल 15—अप्रैल 21, 2018, शनिवार/चैत्र 25—वैशाख 1, 1940

No. 7] NEW DELHI, APRIL 15—APRIL 21, 2018, SATURDAY/CHAITRA 25—VAISAKHA 1, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय  
(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2018

का.नि.आ. 22.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा लेखा विभाग (लिपिक) भर्ती नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (लिपिक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (लिपिक) भर्ती नियम, 2009 में,-

- (i) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर।—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर, वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।"

- (ii) अनुसूची में, --

(क) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर 2
(19900-63200 रु.)”;

(ख) स्तम्भ (11) में,-

- (i) शब्दों और अंकों “वेतन बैंड 1 तथा ग्रेड वेतन 1800रु०” के स्थान पर शब्दों, अंकों और कोष्ठक “वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (18000-56900 रु.)” रखा जाएगा।
- (ii) शब्दों और अंकों “ग्रेड 1800 रु.” के स्थान पर शब्दों, अंकों और कोष्ठक “स्तर 1 (18000-56900 रु.)” रखा जाएगा।

[फा. सं. 9(2)/सी/2017]

आर. के. कर्ण, अपर वित्तीय सलाहकार और संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम तारीख 15 सितम्बर, 2009 भारत के राजपत्र, भाग II, खंड-4 में संख्या का.नि.आ. सं. 23, तारीख 26 सितम्बर, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात् अधिसूचना सं. का.नि.आ. 9, तारीख 19 जनवरी, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र में 5 फरवरी, 2011 को संशोधित किया गया था।

# MINISTRY OF DEFENCE

(FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 12th April, 2018

**S.R.O. 22.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Accounts Department (Clerk) Recruitment Rules, 2009, namely :-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Clerk) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Clerk) Recruitment Rules, 2009,
  - (i) For rule 2, the following rule shall be substituted, namely :-
 

“2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules”.
  - (ii) in the Schedule,—
    - (a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

“ Level in Pay Matrix
(4)
Level 2
(Rs. 19900-63200)”;